

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.1(65)नवि/II/2007

जयपुर, दिनांक - 6 DEC 2019

—:आदेश:—

न्यास सेवा के अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) से अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) पद हेतु वर्ष 2017-18 एवं 2019-20 के रिक्त पदों पर राजस्थान अभियन्ता सेवा, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954 (उक्त नियमों को न्यास सेवा के अभियन्ताओं पर आदेश प. 8(42) 67 दिनांक 10.07.75 एवं प.1(1)81 दिनांक 09.11.93, 28.02.1997 प्रभावी किया गया है) के नियम-24-ए के अन्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 26.11.2019 द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति चयन समिति की दिनांक 02.12.2019 को आयोजित बैठक की अभिशंषाओं के अनुसार निम्नांकित अधिशाषी अभियन्ताओं (विद्युत) को अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) के पद पर (Pay Matrix Level: L-19) में पदोन्नति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	जन्म तिथि	रिक्त दिनांक	चयन वर्ष
1.	श्री महेश आडा	20.12.1965	01.04.2017	2017-18
2.	श्री जे.पी.शर्मा	10.05.1967	01.04.2019	2019-20

उक्त अभियन्ताओं का पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। जब तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)

शासन संयुक्त सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर/ कोटा।
4. निजी सचिव, शासन संयुक्त सचिव, प्रथम, नगरीय विकास विभाग।
5. श्री महेश आडा, अधीक्षण अभियन्ता(विद्युत) नगर विकास न्यास, उदयपुर।
6. श्री जे.पी.शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता(विद्युत) नगर विकास न्यास, कोटा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

आदेश को वे वास्तव करते

शासन संयुक्त सचिव-प्रथम